PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

06/01/2025 से 12/01/2025 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

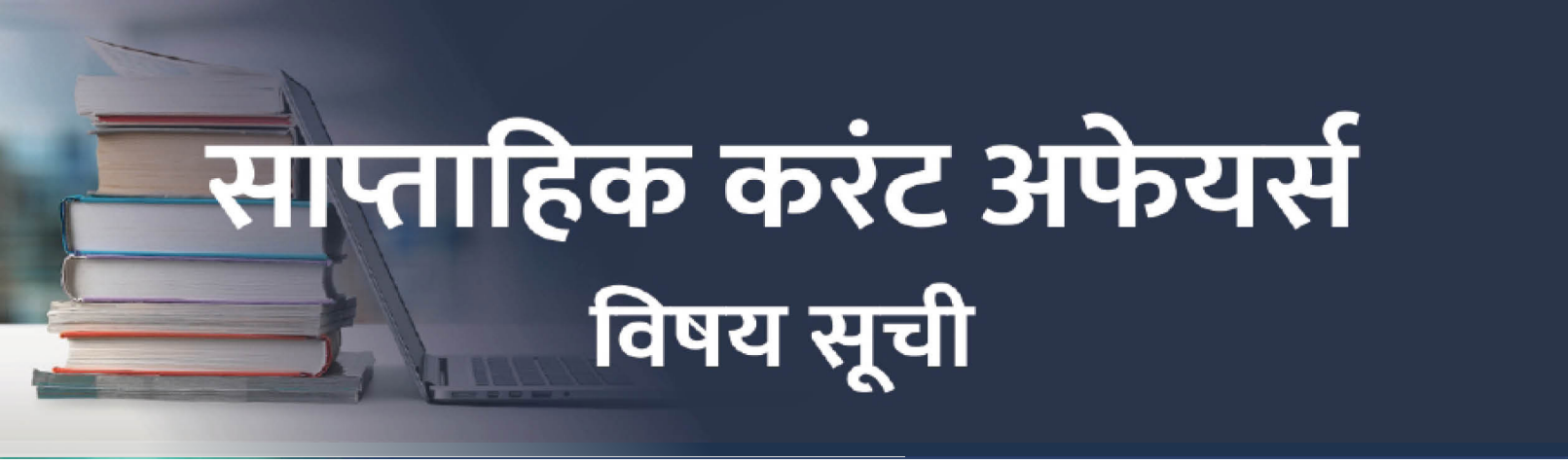

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. MSP की वैधानिकता : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और चुनौतियाँ.....1
2. ट्रांसजेंडर पहचान पत्र : कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति.....3
3. सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 : भारत में शिक्षा और समानता की क्रांति की अग्रदूत.....6
4. भारत में कानूनों का पुनरावलोकन : सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण.....8
5. सर्वोच्च न्यायालय की चिंता : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का लोकतंत्र पर असर.....11
6. विश्व हिन्दी दिवस 2025.....13

PLUTUS IAS

MSP की वैधानिकता : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और चुनौतियाँ

खबरों में क्यों ?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार की आलोचना की है, क्योंकि उसने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत नहीं की और उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाली नई याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए किसानों की मांगों पर विचार करने की अपील की है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाला यह मामला पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसान समूहों द्वारा चलाए जा रहे लंबे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी से संबंधित याचिका :

- यह याचिका वर्ष 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए वादों के आधार पर दायर की गई थी, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद फसलों पर MSP की विधिक गारंटी की मांग की गई।
- इस याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि किसानों की आय को स्थिर करने के लिए MSP को कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकृत किया जाए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण :

- सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मुद्दे पर कोई सीधा आदेश नहीं दियाहै , लेकिन इसे हल करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाने का सुझाव दिया और केंद्र सरकार से त्वरित रूप से जवाब देने को कहा है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी से किसानों के विरोध प्रदर्शनों को कानूनी समर्थन मिला है और इस मुद्दे के विधिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन का कारण :

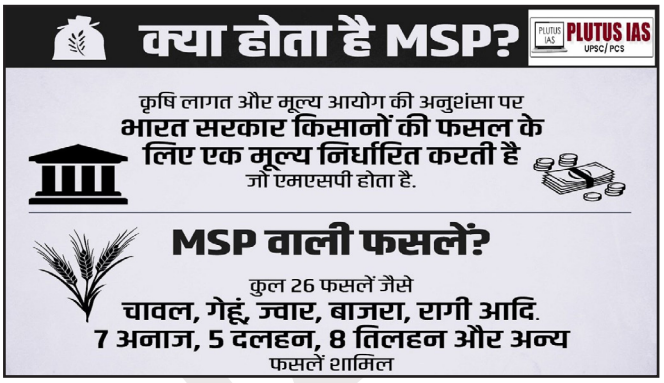

- किसानों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 1991 के आर्थिक उदारीकरण की नीति के कारण से हुई है , जब कृषि की तुलना में औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व दिया गया।
- कृषि की तुलना में औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व देने से ग्रामीण क्षेत्रों में संकट बढ़ा, क्योंकि किसान कम फसल लाभ और बढ़ती लागत का सामना कर रहे थे।
- फसलों के दामों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन केवल कुछ प्रमुख फसलों तक ही सीमित है, जिससे किसानों को अक्सर अपनी फसलें उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ती हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में WTO के समझौतों के कारण भारत को व्यापार प्रतिबंध लगाने और किसानों को सब्सिडी देने में समस्याएं आ रही हैं।

किसानों की प्रमुख मांगें :

1. सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी।
2. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन।
3. किसानों और मजदूरों के लिए ऋण माफी, मुआवजा, पेंशन और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ।
4. भूमि और जल पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों का संरक्षण।

सरकार का दृष्टिकोण :

केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी देना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें

खरीद की उच्च लागत और लॉजिस्टिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- इसके अलावा, सरकार खाद्य मुद्रास्फीति और बजटीय दायित्वों के संदर्भ में भी चिंतित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की वैधता के पक्ष और विपक्ष में तर्क :

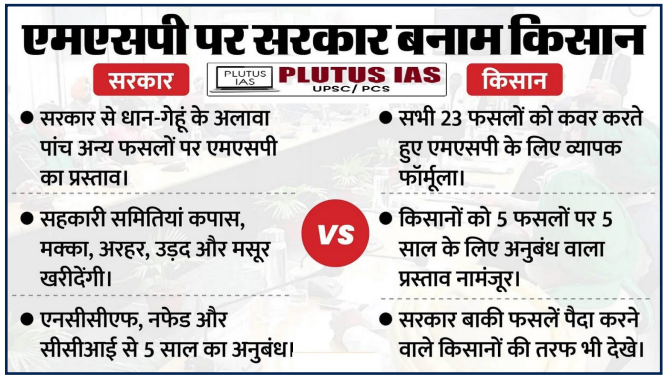

वैधता के पक्ष में तर्क :

1. **किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलने में सहायक होना** : न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने से किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे बाजार की उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान की समस्या सुलझ जाएगी। यह उनकी उत्पादन लागत को पूरा करने के साथ-साथ उचित लाभ की गारंटी भी देगा।

2. **कृषि में सुधार को प्रोत्साहन मिलना और किसानों की आय में वृद्धि होना :** कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान घटकर 15% से कम हो गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाकर इस कमी को कम किया जा सकता है, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

3. **डिजिटल कृषि में पारदर्शिता और औपचारिक बाजारों को बढ़ावा मिलना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से लागू करने से औपचारिक बाजारों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अनौपचारिक बाजारों पर निर्भरता कम होगी और डिजिटल कृषि में पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. **स्थिर मूल्य को बढ़ावा मिलना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने से कृषि बाजारों में मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है, जिससे किसानों की आय और उपभोक्ता मूल्य स्थिर हो सकते हैं।

5. **कृषि की वास्तविक लागत की सही मूल्य निर्धारण में सहायक होना :** वर्तमान में कृषि की वास्तविक लागत की सही गणना नहीं हो पाती, जिससे मूल्य अक्सर किसानों की खर्च से कम होते हैं। C2+50% पद्धति जैसे मॉडल से सही मूल्य निर्धारण हो सकता है।

6. **कृषि में निवेश से उत्पादकता में सुधार होना :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी रूप से लागू करने से किसानों को स्थिर आय मिलेगी, जिससे कृषि में निवेश बढ़ेगा और हरित प्रौद्योगिकी और सतत् पद्धतियों के जरिए उत्पादकता में सुधार होगा।

वैधता के विपक्ष में तर्क :

1. **तार्किक समस्याएँ :** सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना मुश्किल है, क्योंकि देश भर में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और मंडी व्यवस्था नहीं है, जो कई राज्यों में काम नहीं कर रही है।

2. **सरकार पर आर्थिक दबाव और वित्तीय बोझ का बढ़ना :** सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने के लिए सरकार को अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो बजटीय दिक्कतें पैदा कर सकती है और आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है।

3. **खाद्य मुद्रास्फीति :** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खासकर अगर सरकार को सभी फसलों को MSP पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।

4. **कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की स्थिति में बदलाव :** न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी रूप से लागू होने से कृषि बाजारों में आपूर्ति और मांग की स्थिति में बदलाव हो सकता है, जिससे अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

5. **वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होना :** विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण भारत को कृषि पर सब्सिडी देने या व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे MSP की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।

देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को वैध बनाने के विकल्प पर समाधान की राह :

1. **लक्षित दृष्टिकोण द्वारा समर्थित किया जाना :** MSP को कानूनी रूप से लागू करने के बजाय, केवल कुछ फसलों के लिए इसे लागू किया जा सकता है, ताकि कीमतों को स्थिर किया जा सके। यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जो किसानों को MSP और मूल्य कमी भुगतान के जरिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में खरीद प्रणालियाँ सफलतापूर्वक लागू की गई हैं।

2. **कृषि संकटों के बेहतर समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर कानून बनाने पर विचार किया जाना :** राष्ट्रव्यापी MSP की बजाय, प्रत्येक राज्य की कृषि चुनौतियों और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से राज्य-विशिष्ट कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है, जो कृषि संकटों का बेहतर समाधान प्रदान कर सके।

3. **सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना :** सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना, जैसा कि दूध उत्पादन में सफलता मिली है। ये संगठन किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद कर सकते हैं।

4. **आधुनिक भंडारण सुविधाएँ और बेहतर बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाना :** सहकारी समितियों और FPOs के लिए एक मजबूत कानूनी ढाँचा, आधुनिक भंडारण सुविधाएँ और बेहतर बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा को बढ़ावा दे सकती है और फसल-उपरांत नुकसान को कम कर सकती है।

5. **सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना :** किसानों को निगमों या सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपनी उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य प्राप्त कर सकें।

6. **फसल बीमा योजनाओं को और अधिक विस्तार और सुधार के साथ लागू करना :** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसे उपायों को और अधिक विस्तार और सुधार के साथ लागू किया जा सकता है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या बाजार की अस्थिरता से होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिल सके।

7. **किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना :** किसानों को अपनी फसलों और आय स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वे कुछ फसलों पर अधिक निर्भर न हों, जो बाजार में अस्थिरता का कारण बनती हैं।

स्त्रोत – योजना, कुरूक्षेत्र एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विधिक गारंटी की मांग करने वाली याचिका किससे संबंधित है और किसानों को उनकी आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कौन से कदम सुझाए गए हैं?

A. 1991 के आर्थिक उदारीकरण से संबंधित किसानों के विरोध से और सहकारी समितियों के साथ अनुबंध खेती के लिए प्रोत्साहन।

B. 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से और किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना।

C. 2015 के सूखा प्रभावित किसानों के विरोध से और सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी लागू करना।

D. 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से और कृषि संकटों के समाधान के लिए नए कानून बनाना।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों के विरोध और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर विचार करते हुए, MSP की वैधानिकता को लेकर किसानों की मांगों, सरकार के दृष्टिकोण, सर्वोच्च न्यायालय की अपील और इसके समाधान के संभावित उपायों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

ट्रांसजेंडर पहचान पत्र : कानूनी बदलाव और सामाजिक स्वीकृति

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और लिंग में बदलाव कर सकते हैं।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यह बदलाव उभयलिंगी व्यक्ति

(अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इस प्रकार के परिवर्तन की स्पष्ट अनुमति दी गई है।

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामला का मुख्य तथ्य :

सुश्री X बनाम कर्नाटक राज्य, 2024 मामले के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

- याचिकाकर्ता को लैंगिक डिस्फोरिया था, जिसके कारण उसने लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और पासपोर्ट में अपने नाम और लिंग में कानूनी रूप से बदलाव किया। हालांकि, जन्म प्रमाण पत्र में यह परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं देने से उसके संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इससे दोहरी पहचान उत्पन्न होती है, जिससे उत्पीड़न और भेदभाव हो सकता है।
- उन्होंने उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का हवाला दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के अनुसार दस्तावेज़ों में बदलाव करने की अनुमति दी गई है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 1969 का जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम सामान्य अधिनियम है, जबकि ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण करने वाला अधिनियम विशेष अधिनियम है।
- उच्च न्यायालय ने इस मामले के निर्णय में यह भी कहा कि विशेष कानून के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति का लिंग सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर विशेष कानूनों की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित मुख्य :

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

1. **ट्रांसजेंडर की परिभाषा :** ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें 'इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति' और 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' शब्दों को स्पष्ट किया गया है, ताकि लिंग परिवर्तन सर्जरी या चिकित्सा उपचार के बिना भी ट्रांसजेंडर पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हो सकें।
2. **भेदभाव का निषेध :** यह विधेयक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सुविधाओं में भेदभाव को रोकता है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यात्रा, संपत्ति और कार्यालयों में समान अधिकार प्रदान करता है।
3. **पहचान प्रमाण पत्र :** यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी लिंग पहचान पर अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत, जिला मजिस्ट्रेट बिना मेडिकल परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
4. **चिकित्सा देखभाल :** इस विधेयक में HIV की निगरानी, चिकित्सा देखभाल, लैंगिक पुनर्निर्धारण सर्जरी, और बीमा कवरेज जैसी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
5. **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद :** सरकार को सलाह देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद स्थापित की गई है।
6. **अपराध और दंड का प्रावधान :** इस विधेयक के तहत बलपूर्वक श्रम, दुर्व्यवहार और अधिकारों से वंचित करने जैसे अपराधों के लिए 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

भारत में ट्रांसजेंडरों के समक्ष मुख्य समस्याएँ :

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है –

1. **सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए सामाजिक जीवन में भागीदारी मुश्किल हो जाती है और वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। सार्वजनिक स्थानों, जैसे शौचालय और आश्रय स्थल, में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता, जिसके कारण वे उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होते हैं।

2. **शिक्षा में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है। उनकी साक्षरता दर केवल 46% है, जो राष्ट्रीय औसत (74%) से कम है।

3. **शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ना और बेघर होना :** परिवारों द्वारा अस्वीकार किए जाने और आवास की कमी के कारण कई ट्रांसजेंडर लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, साथ ही मादक पदार्थों की लत जैसी समस्याओं का भी सामना करते हैं।

4. **सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक असहिष्णुता और ट्रांसफोबिया के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफोबिया का अर्थ है ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति नकारात्मक सोच, डर, घृणा या पूर्वाग्रह।

5. **अवसाद और आत्महत्या के विचारों जैसी मनोवैज्ञानिक संकटों और मानसिक समस्याओं का सामना पड़ना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी के कारण वे चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं।

6. **ट्रांसजेंडरों का नकारात्मक सार्वजनिक चित्रण :** मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर ट्रांसजेंडरों का नकारात्मक चित्रण उनके प्रति सामाजिक अस्वीकृति और हिंसा को बढ़ावा देता है।

आगे की राह :

1. **सामाजिक सरोकारों पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता :** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता, सहायक शिक्षा और अन्य सामाजिक अधिकारों जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हों।

2. **शिक्षा तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित करना :** भारत में सरकार को स्कूलों को ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए उत्पीड़न-रोधी और रैगिंग-रोधी नीतियाँ लागू करनी चाहिए ताकि उनके साथ होने वाली भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आए।

3. **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नीति-निर्माण में शामिल करना :** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और उन्हें समाज में समान अवसर मिल सकें।

4. **वित्तीय सहायता और आर्थिक अवसर प्रदान करना :** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आसान ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

5. **सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का आयोजन करने की जरूरत :** सरकार को ट्रांसजेंडर से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियानों का आयोजन करना चाहिए, ताकि समाज में ट्रांसजेंडर से जुड़े मुद्दों पर असहिष्णुता कम हो और ट्रांसजेंडरों के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रही सोच को चुनौती दी जा सके।

स्त्रोत – योजना एवं द हिन्दू।

Q.1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौन सा अधिकार दिया गया है?

1. अपनी लिंग पहचान पर आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार
2. सभी सार्वजनिक कार्यालयों में ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए विशेष आरक्षण
3. किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार
4. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय और आश्रय स्थल का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं।
D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के संदर्भ में भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक समावेशन, कर्नाटक उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय और सरकारी प्रयासों पर चर्चा करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 : भारत में शिक्षा और समानता की क्रांति की अग्रदूत

खबरों में क्यों ?

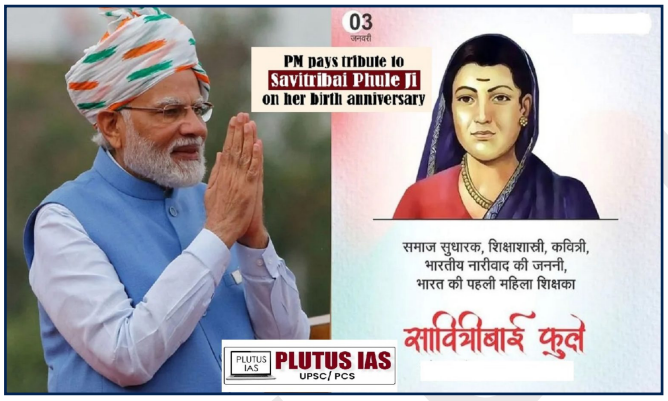

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी, 2025 को सावित्रीबाई फुले को उनकी 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले, जो 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक थे, भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं।
- इन दोनों ने तत्कालीन भारतीय समाज में महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जातिवाद तथा लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था।
- सावित्रीबाई को भारत में महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के दिशा में कार्य करने के लिए तत्कालीन पारंपरिक भारतीय समाज के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पत्थरबाजी और दुर्व्यवहार जैसी कठिनाइयाँ भी शामिल थीं।

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले :

- भारत में वर्ष 1840 में, जब बाल विवाह सामान्य रूप से प्रचलित और सर्वमान्य था, उस समय मात्र 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से हुआ, जो उस समय 13 वर्ष के थे।
- बाद के समय में इस युगल जोड़ी ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

ज्योतिराव फुले का जीवनवृत्त :

- ज्योतिराव फुले एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। वे जातिवाद और समाज में असमानता के खिलाफ थे, और उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।
- **शिक्षा :** वर्ष 1841 में, फुले ने पुणे के स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में दाखिला लिया और वहीं अपनी शिक्षा पूरी की।
- **विचारधारा :** उनकी सोच स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर आधारित थी। वे थॉमस पाइन की किताब 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रेरित थे, और मानते थे कि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए महिलाओं और निचली जातियों को शिक्षा देना जरूरी है।
- **प्रमुख कार्य :** फुले ने 1855 में 'तृतीया रत्न' और 1873 में 'गुलामगिरि' जैसे महत्वपूर्ण कार्य लिखे। उन्हें 1888 में 'महात्मा' की उपाधि दी गई।

समाज सुधार की दिशा में किया गया कार्य :

- सन 1848 में, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया और फिर दोनों ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला।
- ज्योतिराव फुले ने विधवाओं के लिए आश्रम बनाए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

- वे लैंगिक समानता में विश्वास करते थे और अपनी सभी समाज सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल करते थे। फुले ने 1852 तक तीन स्कूल खोले, लेकिन 1858 तक इन्हें बंद कर दिया गया।
- ज्योतिराव ने उच्च जातियों की रूढ़िवादी सोच का विरोध किया और 1868 में सभी जातियों के लिए सामूहिक स्नानागार का निर्माण किया। उन्होंने समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी जातियों के साथ भोजन भी किया।
- उनकी जागरूकता अभियान ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर और महात्मा गांधी को प्रभावित किया, जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया।
- ज्योतिराव फुले ने ही भारत में सबसे पहली बार 'दलित' शब्द का प्रयोग किया, भारतीय समाज में जो जातिवाद से पीड़ित लोगों/ वर्गों को दर्शाता है।

सावित्रीबाई फुले का जीवनवृत्त :

- **जन्म :** सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हाशिए पर रहने वाले माली समुदाय में हुआ। उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, जिन्होंने उनकी शिक्षा का जिम्मा लिया।
- **शिक्षा :** सावित्रीबाई ने अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के साथ और पुणे के नॉर्मल स्कूल में दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला लिया।
- **महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य :** 1852 में, सावित्रीबाई ने 'महिला सेवा मंडल' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना था। उन्होंने एक महिला सभा आयोजित की, जिसमें सभी जातियों के लोगों को आमंत्रित किया गया और उन्हें एक साथ मंच पर बैठने के लिए प्रेरित किया।
- **साहित्यिक योगदान :** उन्होंने 1854 में 'काव्या फुले' और 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' प्रकाशित की। अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में उन्होंने उत्पीड़ित समुदायों को शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।
- **समाज सुधार की दिशा में किया गया प्रमुख कार्य :** उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1873 में उन्होंने पहला सत्यशोधक विवाह आयोजित किया, जिसमें दहेज, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों का पालन नहीं किया गया।

सावित्रीबाई फुले की विरासत :

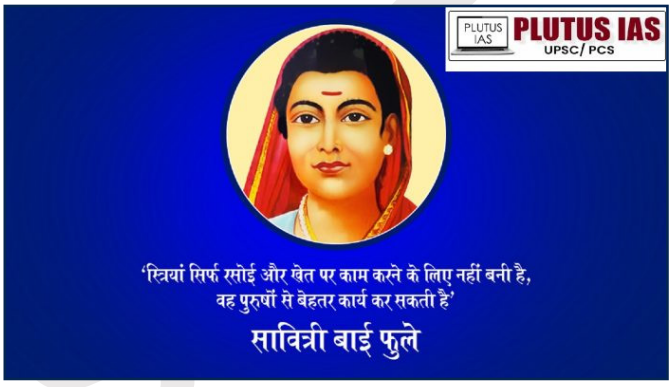

- सन 1848 में, फुले दंपत्ति ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए एक स्कूल खोला। 1850 के दशक में, उन्होंने नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और 'द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार' नामक शैक्षिक ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें कई स्कूल शामिल थे। सन 1853 में, उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव केंद्र खोला और शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम किया।
- **लैंगिक मुद्दों पर काम :** 1863 में, ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कन्या भ्रूण हत्या और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं की मदद करने के लिए था। यह भारत का पहला गृह था।
- **सत्यशोधक समाज :** 24 सितंबर, 1873 को, उन्होंने और उनके पति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना और प्रचलित परंपराओं, जैसे बाल विवाह, दहेज, अंतर-जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि का उन्मूलन करना था। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य निचली जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा देना और समाज की शोषक परंपराओं से अवगत कराना था।
- **सामाजिक योगदान :** 19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना की और समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था?

1. सभी जातियों को समान शिक्षा प्रदान करना
2. बाल विवाह, दहेज और जातिवाद जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना
3. केवल उच्च जातियों की भलाई के लिए काम करना
4. समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

व्याख्या:

- सभी जातियों को समान शिक्षा प्रदान करना, बाल विवाह, दहेज और जातिवाद जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना और समाज में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले द्वारा 19वीं सदी के भारतीय समाज में महिला शिक्षा, महिला – सशक्तिकरण, जातिवाद और लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ किए गए संघर्षों के प्रमुख पहलुओं की व्याख्या करते हुए यह बताएं कि उनके योगदानों ने तत्कालीन भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया और उनके विचारों ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी को किस प्रकार प्रभावित किया?

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में कानूनों का पुनरावलोकन : सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत 45 दिन की सीमा से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की।
- इस सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय-समय पर विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि कानूनों की समीक्षा करने और उनकी कमजोरियों या समस्याओं की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र की जरूरत है।
- इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के संदर्भ में समीक्षा की प्रक्रिया को हर 20, 25 या 50 वर्ष में एक बार करने का प्रस्ताव भी रखा है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर चुनावी व्यवस्था को नियंत्रित करना है।

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के लिए सीटों के आवंटन का तरीका निर्धारित किया गया है।
2. यह अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है।
3. यह मतदाताओं की योग्यता और अयोग्यता को निर्धारित करता है और मतदाता सूची तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

4. धारा 81 के तहत, चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की जानी चाहिए।
5. याचिका भ्रष्टाचार, अवैध प्रथाओं या चुनावी प्रक्रिया के उल्लंघन के आधार पर दायर की जा सकती है, और इसे उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए।

विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता :

1. **मौजूदा कानूनों की कमियों की पहचान कर नियमित समीक्षा को सुनिश्चित करना :** समय के साथ, बदलते हालात के कारण कानून अप्रासंगिक हो सकते हैं। नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपनी उद्देश्य पूर्ति में सक्षम हैं और यदि आवश्यक हो तो संशोधन या निरसन किया जा सके। उदाहरण के रूप में, IT अधिनियम, 2000 में साइबर अपराधों के लिए संशोधन किया गया।
2. **कानून की समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और प्रभावी बने रहने के प्रासंगिक होने की आवश्यकता :** समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून समाज की आवश्यकताओं के अनुसार और प्रभावी बने रहें। यह राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित और जल्दबाजी में बने कानूनों को भी नजरअंदाज करने में मदद करती है। उदाहरण: बिहार में शराब विरोधी कानून के लागू होने से न्यायालय पर दबाव बढ़ा, और राजस्थान में गौहत्या रोकने के लिए संस्थाओं पर छापे मारने के कानून से दुरुपयोग की संभावना पर चिंता बढ़ी।
3. **अनपेक्षित परिणामों को संबोधित करना :** आवधिक समीक्षा यह पहचानने में मदद कर सकती है कि कौन से कानून बिना जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उदाहरण: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81, 45 दिनों की सीमा के कारण वैध चुनावी विवादों में कमी हो सकती है।
4. **जवाबदेहिता में सुधार करने की आवश्यकता :** नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपने मूल उद्देश्य और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप रहें। उदाहरण के तौर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में दुरुपयोग के आरोप लगे, जिसके कारण इसे फिर से जांचने की आवश्यकता महसूस हुई।
5. **कानूनों को वैश्विक मानकों और मानवाधिकार के अनुरूप होना :** कई लोकतांत्रिक देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जाती है कि कानून वैश्विक मानकों और मानवाधिकार के अनुरूप हों। उदाहरण: अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम में गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता को लेकर समय-समय पर संशोधन किया गया है।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानूनों का आवधिक संशोधन का मौजूदा प्रावधान :

यूनाइटेड किंगडम : इंग्लैंड और वेल्स का विधि आयोग मौजूदा कानूनों की नियमित समीक्षा करता है। इसके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए हैं, जैसे 1735 का जादू-टोना अधिनियम का निरस्त होना, जो पुराने कानूनों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

ऑस्ट्रेलिया : ऑस्ट्रेलियाई विधि सुधार आयोग भी समय-समय पर कानूनी ढांचे की समीक्षा करता है। आयोग विधायी बदलावों के लिए विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करता है, ताकि समकालीन मुद्दों को हल करने में कानून प्रभावी और प्रासंगिक बना रहे।

भारत में कानूनों की आवधिक समीक्षा की राह में आने वाली मुख्य चुनौतियाँ :

1. **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी का होना :** कभी-कभी विधायी समीक्षा राजनीतिक एजेंडे से प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपाती संशोधन होते हैं जो सार्वजनिक हित की बजाय राजनीतिक या निर्वाचन संबंधी लाभ की ओर झुके होते हैं। उदाहरण स्वरूप, 2020 के कृषि कानूनों की आलोचना इस बात को लेकर की गई कि इन कानूनों ने कृषि बाजार सुधारने की बजाय कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा दिया और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया।
2. **कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना और न्यायिक अतिक्रमण :** कभी-कभी न्यायपालिका पर यह आरोप लगता है कि वह कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का उल्लंघन करती है, जिससे समीक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसका उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भागीदारी को बढ़ाना था।
3. **कानूनी जटिलता का होना :** कई बार कानून एक-दूसरे

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

पर निर्भर होते हैं, और उनमें बदलाव करने से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, या वे मौजूदा कानूनों से टकरा सकते हैं। उदाहरण के रूप में, POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित प्रावधानों के बीच विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं।

4. **सार्वजनिक भागीदारी का सीमित होना :** जब विधायी प्रक्रियाओं और कानूनी पहलुओं को लेकर जनता की समझ कम होती है, तो समीक्षा प्रक्रिया का प्रभाव सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, रणबीर सिंह समिति द्वारा आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए की गई कानूनी सुधारों पर जनता की भागीदारी सीमित थी, जिससे सुधारों की व्यापकता और समावेशिता पर सवाल उठे हैं।

भारत में विधिक सुधार से संबंधित संस्थाएँ :

1. प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)
2. राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)
3. डॉ. रणबीर सिंह के नेतृत्व में आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति (2020)
4. भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग :

1. भारत में विधि आयोग एक गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय है, जो विधिक सुधारों पर शोध करता है और सरकार को सिफारिशें देता है।
2. इसे 1834 में चार्टर अधिनियम के तहत गठित किया गया था।
3. स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित हुआ था।
4. वर्तमान में, 23वां विधि आयोग सितंबर 2024 से 2027 तक कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अप्रचलित विधियों की समीक्षा और नए कानूनों का प्रस्ताव करना है।

आगे की राह :

1. **भारत में विधि आयोग को सशक्त बनाना :** भारत में आवधिक विधायी समीक्षा के लिए समर्पित संस्थाओं की कमी है, इसलिए भारतीय विधि आयोग जैसी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करके विधिक सुधारों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकता है।

2. **नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना :** उन्नत प्रौद्योगिकी समीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। सार्वजनिक परामर्श के लिए MyGov जैसे प्लेटफार्म और कानूनों की प्रभावशीलता मापने के लिए AI जैसे उपकरण नागरिकों की भागीदारी और विधि निर्माण में सुधार कर सकते हैं।

3. **कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संसाधन आवंटन करने की जरूरत :** सरकार को विधिक सुधारों के लिए न्यायाधीशों, सिविल सेवकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बजट आवंटित करना चाहिए।

4. **भारत को अपने कानूनों की समीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की अत्यंत जरूरत :** भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मामले में देखा गया, ताकि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रशासन में प्रभावशीलता बढ़ सके।

5. **विधायी समीक्षा करके एक गतिशील विधिक ढाँचा बनाने की जरूरत :** भारत को समय-समय पर विधायी समीक्षा करके एक गतिशील विधिक ढाँचा बनाना चाहिए, जो सामाजिक आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों को पूरा करता हो।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के संदर्भ में 45 दिन की सीमा के बारे में की गई टिप्पणी के संदर्भ में विचार कीजिए :

1. सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावित किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 की समीक्षा हर 20, 25 या 50 वर्ष में एक बार की जानी चाहिए।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि चुनावी विवादों की संख्या में वृद्धि करने के लिए धारा 81 की 45 दिन की सीमा को समाप्त कर दिया जाए।

4. सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर कानूनों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. केवल तीन

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 की 45 दिनों की सीमा पर सुनवाई के संदर्भ में, विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता और महत्व, भारत में विधिक सुधार की मुख्य चुनौतियाँ और उनके समाधान और विधिक समीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। (शब्द सीमा- 250 अंक – 15)

सर्वोच्च न्यायालय की चिंता : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का लोकतंत्र पर असर

खबरों में क्यों?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के तहत सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हो रही निरंतर देरी पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी होने के कारण भारत में नागरिकों को अपने सूचना अधिकार का सही तरीके से उपयोग करने में कठिनाई होती है, साथ ही कई मामलों में सुनवाई भी लंबित रहती है।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मुख्य चिंताएँ :

1. **सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी :** भारत में वर्ष 2024 तक केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में सूचना आयुक्त (IC) के 8 पद रिक्त थे। वहीं 23,000 अपीलें लंबित हैं, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
2. **राज्यों में सूचना आयोग का निष्क्रिय होना :** भारत में कुछ राज्यों में सूचना आयोग वर्ष 2020 से निष्क्रिय हो गए हैं, जबकि कुछ राज्य RTI अधिनियम के तहत याचिकाएँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
3. **प्रथम अपील की प्रक्रिया :** लोक सूचना प्राधिकारियों (PIO) से असंतुष्ट नागरिक अक्सर प्रथम अपील के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास जाते हैं।
4. **विभिन्न राज्यों में अधीनस्थ नियमों में भिन्नता का होना :** राज्यों में RTI अधिनियम का क्रियान्वयन अलग-अलग नियमों के कारण भिन्न होता है। वहीं कुछ राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल की कमी या पंजीकरण में असंगतता के कारण प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
5. **निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव :** सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्त अधिकांश लोग पूर्व नौकरशाह होते हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अंजलि भारद्वाज एवं अन्य बनाम भारत संघ (2019) मामले में विविध पृष्ठभूमि से लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया था।
6. **सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिककरण करना :** RTI अधिनियम के तहत सरकार को सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2023 में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया, जिससे लोक प्राधिकरणों की जवाबदेही पर असर पड़ सकता है।
7. **एकतरफा संशोधन का अधिकार होना :** RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन का निर्धारण करने का एकमात्र अधिकार दिया गया, जिससे उनकी स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न उठने लगे हैं।

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मुख्य तथ्य :

1. **उद्देश्य :** इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देना और पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देना है।

2. **उत्पत्ति :** भारत में RTI अधिनियम की उत्पत्ति 1980 के दशक में राजस्थान में शुरू हुए आंदोलन से हुई है, जहाँ ग्रामीणों ने जवाबदेही और अभिलेखों तक पहुँच की माँग की थी।

3. **भारत में RTI अधिनियम की धारा 8(2) के तहत प्रमुख प्रावधान :** जब सार्वजनिक हित सूचना की गोपनीयता से अधिक महत्त्वपूर्ण हो, तब सूचना का प्रकटीकरण करना आवश्यक होता है।

4. **भारत में RTI अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रमुख प्रावधान :** भारत में RTI अधिनियम की धारा 22 को अन्य कानूनों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है।

5. **छूट : आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 :** नौकरशाहों को आधिकारिक दस्तावेज़ों की गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति देता है। अन्य कानूनों: जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, RTI अधिनियम के तहत सूचना को प्रतिबंधित किया जा सकता हैं।

6. **संशोधन : सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 :** सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, और वेतन एवं सेवा शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) क्या है ?

1. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक स्वतंत्र निकाय है, जिसे सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।

2. इसका उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

3. केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना RTI अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक निकाय है।

4. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और आवश्यकतानुसार 10 या उससे कम केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं।

5. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

पात्रता और छूट :

- ऐसे व्यक्ति जिनका विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन में अनुभव हो।
- सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति सांसद, विधायक नहीं हो सकते और उन्हें कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए।
- उन्हें किसी राजनीतिक दल या व्यवसाय से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए।
- पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की शक्तियाँ :

- गवाहों को बुलाना, दस्तावेजों का निरीक्षण करना, सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना, और जांच के लिए समन जारी करना।
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का कार्य :
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का प्रमुख कार्य RTI अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों के सूचना अधिकार की रक्षा और उसका प्रभावी क्रियान्वयन करना है।
- यह केंद्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं से जुड़ी अपीलों से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है।

समाधान की राह :

1. **नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत :** सूचना आयोगों में रिक्तियों को जल्दी भरने के लिए नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए, ताकि RTI के प्रभावी कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए।

2. **नियुक्तियों के लिए चयन मानदंडों को व्यापक बनाने की आवश्यकता :** उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए चयन मानदंडों को व्यापक बनाना चाहिए।

3. **सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित कवरेज की जरूरत :** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), खेल निकायों और सहकारी समितियों को RTI अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए, ताकि सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

4. **डिजिटल एकीकरण के तहत एकीकृत RTI पोर्टल को अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत :** भारत के विभिन्न राज्यों में RTI आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी डाकघरों को RTI आवेदन स्वीकार करने के लिए सक्षम किया जाए। राज्यों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिज़ाइन किए गए एकीकृत RTI पोर्टल को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

5. **सार्वजनिक प्राधिकरणों को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की जरूरत :** सार्वजनिक प्राधिकरणों को RTI याचिकाओं को सही तरीके से संभालने के लिए अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहिए।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्तों (IC) की नियुक्ति में देरी पर किस कारण गंभीर आपत्ति व्यक्त की है?

1. भारत में इससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
2. इससे भारत के विभिन्न राज्यों में कई मामलों में सुनवाई लंबित रहती है।
3. भारत में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में देरी का नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
4. इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो रही देरी पर व्यक्त की गई चिंता और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम, 2005) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए समाधान की दिशा में किए जाने वाले आवश्यक सुधारों को रेखांकित करते हुए RTI अधिनियम से संबंधित प्रमुख चिंताओं और इसके तहत होने वाली प्रक्रियाओं की जटिलताओं का विश्लेषण करें।

(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विश्व हिन्दी दिवस 2025

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 10 जनवरी 2025 को 'विश्व हिन्दी दिवस – 2025' मनाया गया।
- यह दिन हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा को विश्वभर में फैलाना और इसे एक

प्रमुख भाषा के रूप में प्रोत्साहित करना है।

- हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी भावना और एक ऐसी संपर्क भाषा है जो लाखों लोगों को एक साथ जोड़ती है।
- अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी ने विभिन्न भाषाओं से शब्द लेकर खुद को और भी समृद्ध और सरल बना लिया है।
- हिन्दी आज मीडिया (जनसंचार) और साहित्य के सृजन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है।

विश्व हिन्दी दिवस का वैश्विक उत्सव का आयोजनकर्ता :

- भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) यह सुनिश्चित करता है कि विश्व हिन्दी दिवस को दुनियाभर में मनाया जाए।
- इसके तहत भारत का विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केंद्र विविध कार्यक्रमों जैसे सांस्कृतिक आयोजनों, भाषा कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और चर्चाओं का आयोजन करता है।
- इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य हिन्दी की वैश्विक महत्ता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके योगदान को प्रदर्शित करना है।

विश्व हिन्दी दिवस 2025 का मुख्य विषय :

- विश्व हिन्दी दिवस 2025 का मुख्य विषय है – **"वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिन्दी।"**
- यह विषय हिन्दी को वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाने पर जोर देता है।

हिन्दी का आधिकारिक भाषा बनने का इतिहास :

1. भारत अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ संविधान के निर्माण के समय एक ऐसी भाषा की तलाश में था, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।
2. महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान सभा की बैठक में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया था।
3. 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
4. हालांकि, संविधान ने कोई एक राष्ट्रीय भाषा स्वीकार नहीं की, लेकिन हिन्दी सहित 21 अन्य भाषाओं को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ।
5. सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो भारत, मॉरीशस, यूके, त्रिनिदाद और टोबैगो, अमेरिका आदि देशों में आयोजित किया गया।
6. पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
7. इसके बाद, 10 जनवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाएगा।
8. तब से, भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशों में भी इस दिन को मनाना शुरू किया और हर साल 10 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 'विश्व हिन्दी दिवस' को मनाने के माध्यम से हिन्दी का प्रचार और प्रसार वैश्विक स्तर पर किया जाता है।

विश्व हिन्दी दिवस 2025 का महत्व :

विश्व हिन्दी दिवस 2025 कई कारणों से विशेष महत्व रखता है। इस दिन के माध्यम से हिन्दी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और उसकी वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलता है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. **हिन्दी की विरासत का संरक्षण :** विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और चर्चाओं के आयोजन से हिन्दी को भावी पीढ़ियों तक संरक्षित किया जाता है।
2. **भाषाई विविधता को बढ़ावा देना :** हिन्दी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ता है, जिससे भाषाई विविधता को प्रोत्साहन मिलता है।
3. **वैश्विक संचार को बढ़ाना :** हिन्दी, भारतीय प्रवासियों और

अन्य देशों जैसे नेपाल, मॉरीशस, अफ्रीका, और मध्य पूर्व में संचार का प्रमुख माध्यम बनती है।

4. **अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना :** हिन्दी साहित्य, संगीत, फिल्म और कला को बढ़ावा देने से अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया जाता है।

5. **हिन्दी सीखने को प्रोत्साहित करना :** इसके तहत आज वैश्विक स्तर पर हिन्दी सीखने में लोगों की रुचि बढ़ी है, और विश्व हिन्दी दिवस के माध्यम से गैर-देशी भाषियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है।

6. **सांस्कृतिक और संचार माध्यम के रूप में हिन्दी की भूमिका :** भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप जैसे-जैसे विश्व एक दूसरे से जुड़ रहा है, हिन्दी की भूमिका सांस्कृतिक और संचार माध्यम के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण हो रही है, जिससे विश्व हिन्दी दिवस 2025 अत्यधिक आवश्यक हो गया है।

7. **हिन्दी का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व :** हिन्दी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि यह लाखों भारतीयों की सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान है। इसमें संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी जैसे भाषाओं से शब्दों को अपनाने की अद्वितीय क्षमता है, जिससे यह एक जीवंत और प्रगतिशील भाषा बन चुकी है।

हिन्दी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :

1. **भाषायी जड़ें :** हिन्दी इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है और संस्कृत की वंशज है अर्थात यह संस्कृत से विकसित हुई है।

2. **वैश्विक पहुंच की स्थिति :** विश्व की लगभग 4.46% जनसंख्या हिन्दी बोलती है, जो इसे चीनी, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनाती है।

3. **संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होने की स्थिति :** हिन्दी को अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत इसके लिए वर्ष 2015 से लगातार प्रयास कर रहा है।

4. **लेखन प्रणाली :** हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

5. **हिन्दी की उपभाषाएँ :** हिन्दी की उपभाषाओं के अंतर्गत लगभग 16 उपभाषाएँ जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और खड़ीबोली शामिल हैं।

विश्व हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता है?

विश्व हिन्दी दिवस का उद्देश्य हिन्दी भाषा के सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व को मान्यता देना और इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है।

विश्व हिन्दी दिवस का मुख्य उद्देश्य :

1. हिन्दी वक्ताओं के योगदान को प्रदर्शित करना है।
2. हिन्दी के प्रचार – प्रसार में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
3. अंतरराष्ट्रीय भाषायी आदान-प्रदान में हिन्दी भाषा के समावेशन को बढ़ावा देना है।
4. हिन्दी को एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है।

हिन्दी की वैश्विक स्थिति :

- हिन्दी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।
- यह भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ लगभग 43 देशों में बोली जाती है और पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है।
- हिन्दी भाषा ने हिन्दी साहित्य, बॉलीवुड के फिल्मों और भारतीय प्रवासियों के कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।

निष्कर्ष :

1. विश्व हिन्दी दिवस केवल हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धरोहर और पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
2. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भाषा केवल संवाद का एक साधन नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, विचारों और भावनाओं का संवाहक भी है।
3. हिन्दी ने सदियों से भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है और अब यह पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रही है।

4. विश्व हिन्दी दिवस के माध्यम से हम अपनी भाषा की महत्ता को समझने और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं।

5. यह दिन हमें यह भी प्रेरित करता है कि हम अपनी भाषा को न केवल घरों तक सीमित रखें, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करें, ताकि हिन्दी का सांस्कृतिक और वैश्विक महत्व निरंतर बढ़ता रहे।

6. विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन न केवल हिन्दी भाषियों के लिए गर्व का अवसर है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो हिन्दी को अपनी भाषा मानते हैं और उसे सीखने व समझने में रुचि रखते हैं।

7. हिन्दी का प्रचार और प्रसार हमें अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के साथ-साथ एकजुटता और विविधता के सम्मान की ओर भी प्रेरित करता है।

8. इसलिए, विश्व हिन्दी दिवस 2025 और इसके बाद के हर आयोजन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह हमें आपस में एकजुट करता है और हमें अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है।

स्त्रोत – भारत के गृह मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाईट, पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. हिन्दी भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
2. हिन्दी केवल भारत में बोली जाती है।
3. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है।
4. हिन्दी की लगभग 16 उपभाषाएँ हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य / कथन सही है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व हिन्दी दिवस के महत्व, उद्देश्य, हिन्दी भाषा की वैश्विक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा करें कि हिन्दी ने अन्य भाषाओं से शब्द लेकर कैसे खुद को समृद्ध किया है और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भाषा बनने में इसका क्या योगदान है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

PLUTUS IAS

PLUTUS IAS UPSC/ PCS